राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 1149/2024

डॉ. शिवकान्त शर्मा —अपीलार्थी

बनाम

1. शासन सचिव, आयुर्वेद एवं यूनानी होम्योपैथी एण्ड प्राकृतिक (आयुष) सेवाएं, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. उप शासन सचिव, आयुर्वेद एवं यूनानी होम्योपैथी एण्ड प्राकृतिक (आयुष) सेवाएं, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निदेशक, होम्योपैथी निदेशालय, सेक्टर–26 आयुष भवन जयपुर।
4. होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी/प्रभारी, राजकीय हौम्योपैथी डिस्पेंसरी, सिंगल यूनिट पीएचसी, वाटिका जयपुर (ग्रामीण)।
5. डॉ. पप्पू लाल खटीक होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी, राजकीय हौम्योपैथी डिस्पेंसरी, पतिका, करौली।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 01.03.2024
आदेश की दिनांक :

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अरूण शर्मा, अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने कथन किया है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति एन.आर.एच.एम. योजना के तहत् संविदा के आधार पर दिनांक 28.02.2008 को हौम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी के पद पर पीएचसी, राहोली, तहसील निवाई, जिला टोंक में हुई थी। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 06.01.2016 (अनुलग्नक–2) के द्वारा हौम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी के पद पर 2 वर्ष के फिक्स वेतन पर चयन किया गया जाकर राजकीय हौम्योपैथी 'ए' श्रेणी औषधालय जोसगंज, अजमेर में पदस्थापित किया गया। जहां पर अपीलार्थी ने दिनांक 18.01.2026 को कार्यभार ग्रहण कर लिया। प्रत्यर्थी संख्या 2 के आदेश दिनांक 04.08.2021 (अनुलग्नक–5) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजकीय हौम्योपैथी डिस्पेंसरी गौनेर, जयपुर से राजकीय हौम्योपैथी डिस्पेंसरी, सिंगल यूनिट, पीएचसी वाटिका, जयपुर ग्रामीण में कर दिया गया, जहां पर अपीलार्थी ने दिनांक 05.08.2021 को कार्यभार ग्रहण कर लिया। अपीलार्थी वर्तमान में राजकीय हौम्योपैथी डिस्पेंसरी, सिंगल यूनिट, पीएचसी वाटिका, जयपुर ग्रामीण में

कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से राजकीय हौम्योपैथी चिकित्सालय, परीता, करौली में निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 के स्थान पर किया गया तथा निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 का स्थानान्तरण हौम्योपैथिक औषाद्यालय, परीता, करौली से अपीलार्थी के स्थान पर समंजित करने के उद्देश्य से लगभग 195 कि.मी. दूर बिना किसी प्रशासनिक कारणों के किया गया है। अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 24.02.2024 (अनुलग्नक–1/ए) के द्वारा कार्यमुक्त कर दिया गया। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष दिनांक 26.02.2024 (अनुलग्नक–12) को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिस पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। अपीलार्थी की पत्नी भी राजकीय सेवा में नर्स ग्रेड–ाा के पद पर जयपुर में कार्यरत है। स्थानान्तरण नीति के अनुसार पति–पत्नी को जहां तक संभव हो एक ही स्थान पर अथवा आस–पास पदस्थापित रखा जाना चाहिये, का उल्लंघन करते हुए उक्त आदेश जारी किया गया। अपीलार्थी के दो बच्चे है। अपीलार्थी का बड़ा पुत्र NEET परीक्षा की तैयारी जयपुर में कर रहा है एवं छोटा पुत्र 10वीं कक्षा में जयपुर में अध्ययनरत है। अपीलार्थी के माता पिता काफी वृद्ध है। जो मधुमेह रक्तचाप, सी.ए.डी. कॉलेस्ट्रोल जैसी बीमारियों से ग्रसित है। अपीलार्थी के पिता की रीड्ड की हड्डी की लैजर सर्जरी हुई है। जिनकी देखभाल अपीलार्थी के द्वारा ही की जाती है। परिवार में इनकी देखभाल करने वाला अपीलार्थी के अलावा अन्य कोई व्यक्ति नहीं है (अनुलग्नक–13 व 14)। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की अपील को ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में राजकीय हौम्योपैथी डिस्पेंसरी, सिंगल यूनिट, पीएचसी वाटिका, जयपुर ग्रामीण में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से राजकीय हौम्योपैथी चिकित्सालय, परीता, करौली में प्रशासनिक आवश्यकता से राज्यहित में किया गया। **डॉ0 अजय कुमार शर्मा बनाम राजस्थान सरकार व अन्य 2003(1) डब्लू.एल.सी. (राज.) 438** का निर्णय उदृत किया गया है। हमने इस तर्क पर विचार किया है और हमारे मत में केवल इस कारण कि प्रत्यर्थी संख्या–5 को अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित किया गया है, यह आवश्यक निष्कर्ष नहीं निकलता है कि बिना किसी उचित कारण

के प्रत्यर्थी संख्या–5 को अनुचित फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से उसको अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित किया गया है। हमारे मत में डॉ0 अजय कुमार शर्मा के केस के तथ्य भिन्न हैं और इस निर्णय से अपीलार्थी को कोई मदद नहीं मिलती है। अपीलार्थी वर्तमान पद पर वर्ष 2021 से कार्यरत है। अतः आलोच्य आदेश में कोई नियमों का उल्लंघन या दुर्भावना अभिलक्षित नहीं होती है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है। इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना न्यायोचित नहीं है।

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 1149/2024

डॉ. शिवकान्त शर्मा —अपीलार्थी

बनाम

6. शासन सचिव, आयुर्वेद एवं यूनानी होम्योपैथी एण्ड प्राकृतिक (आयुष) सेवाएं, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. उप शासन सचिव, आयुर्वेद एवं यूनानी होम्योपैथी एण्ड प्राकृतिक (आयुष) सेवाएं, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. निदेशक, होम्योपैथी निदेशालय, सेक्टर–26 आयुष भवन जयपुर।
9. होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी/प्रभारी, राजकीय हौम्योपैथी डिस्पेंसरी, सिंगल यूनिट पीएचसी, वाटिका जयपुर (ग्रामीण)।
10. डॉ. पप्पू लाल खटीक होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी, राजकीय हौम्योपैथी डिस्पेंसरी, पतिका, करौली।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 01.03.2024
आदेश की दिनांक :

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अरूण शर्मा, अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

6. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई।
7. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने कथन किया है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति एन.आर.एच.एम. योजना के तहत् संविदा के आधार पर दिनांक 28.02.2008 को हौम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी के पद पर पीएचसी, राहोली, तहसील निवाई, जिला टोंक में हुई थी। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 06.01.2016 (अनुलग्नक–2) के द्वारा हौम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी के पद पर 2 वर्ष के फिक्स वेतन पर चयन किया गया जाकर राजकीय हौम्योपैथी 'ए' श्रेणी औषधालय जोसगंज, अजमेर में पदस्थापित किया गया। जहां पर अपीलार्थी ने दिनांक 18.01.2026 को कार्यभार ग्रहण कर लिया। प्रत्यर्थी संख्या 2 के आदेश दिनांक 04.08.2021 (अनुलग्नक–5) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजकीय हौम्योपैथी डिस्पेंसरी गौनेर, जयपुर से राजकीय हौम्योपैथी डिस्पेंसरी, सिंगल यूनिट, पीएचसी वाटिका, जयपुर ग्रामीण में कर दिया गया, जहां पर अपीलार्थी ने दिनांक 05.08.2021 को कार्यभार ग्रहण कर लिया। अपीलार्थी वर्तमान में

राजकीय हौम्योपैथी डिस्पेंसरी, सिंगल यूनिट, पीएचसी वाटिका, जयपुर ग्रामीण में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से राजकीय हौम्योपैथी चिकित्सालय, परीता, करौली में निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 के स्थान पर किया गया तथा निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 का स्थानान्तरण हौम्योपैथिक औषाद्यालय, परीता, करौली से अपीलार्थी के स्थान पर समंजित करने के उद्देश्य से लगभग 195 कि.मी. दूर बिना किसी प्रशासनिक कारणों के किया गया है। अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 24.02.2024 (अनुलग्नक–1/ए) के द्वारा कार्यमुक्त कर दिया गया। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष दिनांक 26.02.2024 (अनुलग्नक–12) को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया निवेदन किया गया। जिस पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। अपीलार्थी की पत्नी भी राजकीय सेवा में नर्स ग्रेड–ाा के पद पर जयपुर में कार्यरत है। स्थानान्तरण नीति के अनुसार पति–पत्नी को जहां तक संभव हो एक ही स्थान पर अथवा आस–पास पदस्थापित रखा जाना चाहिये, का उल्लंघन करते हुए उक्त आदेश जारी किया गया। अपीलार्थी के दो बच्चे है। अपीलार्थी का बड़ा पुत्र NEET परीक्षा की तैयारी जयपुर में कर रहा है एवं छोटा पुत्र 10वीं कक्षा में जयपुर में अध्ययनरत है। अपीलार्थी के माता पिता काफी वृद्ध है। जो मधुमेह रक्तचाप, सी.ए.डी. कॉलेस्ट्रोल जैसी बीमारियों से ग्रसित है। अपीलार्थी के पिता की रीड्ड की हड्डी की लैजर सर्जरी हुई है। जिनकी देखभाल अपीलार्थी के द्वारा ही की जाती है। परिवार में इनकी देखभाल करने वाला अपीलार्थी के अलावा अन्य कोई व्यक्ति नहीं है (अनुलग्नक–13 व 14)। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे।

8. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की अपील को ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

9. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में राजकीय हौम्योपैथी डिस्पेंसरी, सिंगल यूनिट, पीएचसी वाटिका, जयपुर ग्रामीण में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से राजकीय हौम्योपैथी चिकित्सालय, परीता, करौली में प्रशासनिक आवश्यकता से राज्यहित में किया गया। **डॉ0 अजय कुमार शर्मा बनाम राजस्थान सरकार व अन्य 2003(1) डब्लू.एल.सी. (राज.) 438** का निर्णय उदृत किया गया है। हमने इस तर्क पर विचार किया है और हमारे मत में केवल इस कारण कि प्रत्यर्थी संख्या–5 को अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित

किया गया है, यह आवश्यक निष्कर्ष नहीं निकलता है कि बिना किसी उचित कारण के प्रत्यर्थी संख्या–5 को अनुचित फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से उसको अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित किया गया है। हमारे मत में डॉ0 अजय कुमार शर्मा के केस के तथ्य भिन्न हैं और इस निर्णय से अपीलार्थी को कोई मदद नहीं मिलती है। अपीलार्थी वर्तमान पद पर वर्ष 2021 से कार्यरत है। अतः आलोच्य आदेश में कोई नियमों का उल्लंघन या दुर्भावना अभिलक्षित नहीं होती है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है। इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना न्यायोचित नहीं है।

10. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य